

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

No.2005/H/23/6

New Delhi, dated : 13.1.2006


The General Managers,  
All Indian Railways,  
Director General, RDSO, Lucknow etc.

**Sub : Supply of Free diet to Group 'D' Railway employees and their dependents suffering from diseases like Cancer, T. B. and HIV/AIDS.**

As a result of discussions with the staff side in the PNM/AIRF held in December, 2004 it has been decided by the Board to provide free diet to group 'D' employees & their dependents for the indoor treatment in Rly. Hospitals and Government Hospitals only for three type of diseases viz. Cancer, T. B. , HIV/AIDS. The other conditions as mentioned in para 641 of IRMM' 2000 will remain unchanged.

2. Para 641 of IRMM, 2000 is accordingly modified as per Advance Correction Slip enclosed.
3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

**DA: Advance Correction Slip  
to Para 641 of IRMM 2000.**

  
(Dr. Girija Shankar)  
Director(IH)  
Railway Board.

No.2005/H/23/6

New Delhi, dated : 13.1.2006

- Copy to :-1 FA & CAOs, All Indian Railways including CLW/DLW/ ICF/RCF/ DMW/ RWF.  
2. Dy. Comptroller and Auditor General of India (Rlys.) Room No.224,  
Rail Bhawan, New Delhi.

  
For Financial Commissioner/Railways  
Railway Board.

**Advance Correction Slip to Para 641 of IRMM, 2000**

Para 641 of IRMM'2000 may be amended as under:-

641(A) 5 :-

Insert Para 5(iv) below Para 5(iii) as under:-

(iv) Group 'D' Railway Employees irrespective of their pay, when receiving indoor treatment for Cancer, T.B. and HIV/AIDS in Railway and Govt. Hospitals.

**Free**

641 (B) :

Insert Para 5(B) (c) below 5(B) (b) as under:-

(c) 'Family members and dependent-relatives of Group 'D' Railway employees, irrespective of their pay, when receiving indoor treatment for Cancer, T. B. and HIV/AIDS in Railway and Govt. Hospitals.

**Free**

641(B) :-

Renumber sub-para (c) of Para 5(B) as (d).

(Authority Board's letter No.2005/H/23/6 dated 13.1.2006)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/एच/23/6

नई दिल्ली, दिनांक 13.1.2006

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें,  
महा निदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ आदि.

**विषय : कैंसर, टी.बी. और एच आई वी/एड्स जैसी बीमारियों से पीड़ित समूह 'घ' के रेल कर्मचारियों तथा उनके 'आश्रितों' के लिए निःशुल्क भोजन.**

दिसंबर, 2004 में आयोजित स्थायी वार्ता तंत्र (पी एन एम)/अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ (एआईआरएफ) की बैठक में स्टाफ साइड के साथ हुई चर्चा के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को रेलवे तथा सरकारी अस्पतालों में केवल तीन प्रकार की बीमारियों अर्थात् कैंसर, टी.बी. और एच आई वी/एड्स के अन्तर्ग उपचार के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया गया है. भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के पैरा 641 में उल्लिखित अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी.

2. भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 641 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची के अनुसार आशोधन किया जाता है.
3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

संलग्नक : भा.रे.चि.नि.2000 के पैरा 641 की अग्रिम शुद्धि पर्ची

गिरिजा शंकर  
(डा. गिरिजा शंकर)  
निदेशक (औद्योगिक स्वास्थ्य)  
रेलवे बोर्ड

सं. 2005/एच/23/6

नई दिल्ली, दिनांक 13.1.2006

- प्रतिलिपि :- (1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चिरेका/डीरेका/सडिका/रिडिका/डीपुका/रिपका सहित सभी क्षेत्रीय रेलें.  
(2) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे  
रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 की अग्रिम शृंखला पृथी

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 641 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :-

641 (अ) 5 :-

पैरा 5 (iii) के नीचे पैरा 5 (iv) इस प्रकार जोड़ें :-

(iv)समूह 'घ' के रेल कर्मचारियों के वेतन का ध्यान किए बिना, जब वे रेलवे या सरकारी अस्पतालों में कैंसर, टी.बी. और एच आई वी/एड्स का अन्तरंग उपचार करवा रहे हों.

निःशुल्क

641 (ख)

पैरा 5 (ब) (ख) के नीचे पैरा 5 (ब) (ग) इस प्रकार जोड़ें :-

(ग)समूह (घ) के रेलकर्मचारियों के वेतन का ध्यान किए बिना, उनके परिवार के सदस्य या आश्रित संबंधी जब रेलवे या सरकारी अस्पतालों में कैंसर, टी.बी. और एच आई वी/एड्स का अन्तरंग उपचार करा रहे हों.

निःशुल्क

641 (ब):-

पैरा 5 (ब) के उप-पैरा (ग)को पुनः अंकित कर (घ) लिखा जाए .

(प्राधिकार : बोर्ड का पत्र सं. 2005/एच/23/6 दिनांक 13.1.2006)